रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2017/फाल्गुन 11, 1938
No. 618] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2017/PHALGUNA 11, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 688(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भागीदारी से सार्वत्रिक प्रांरभिक शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम सर्व शिक्षा अभियान का प्रशासन कर रहा है जिससे सार्वत्रिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग की और सामाजिक प्रवर्ग अंतरालों को पाटने तथा बालकों के शिक्षा के स्तरों में वृद्धि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके;

और, सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के मध्यक्षेपों का उपबंध है, जिसके अंतर्गत नए स्कूलों का खोला जाना, स्कूलों और अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के संनिर्माण, शौचालयों और पेयजल, शिक्षकों, आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहायता, पाठ्यपुस्तकों, वर्दी और अधिगम उपलब्धि हेतु सहायता भी है;

और सर्व शिक्षा अभियान स्कीम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन यथा अधिदिष्ट मानकों और स्तरमानों तथा नि:शुल्क पात्रताओं के अनुसार विरचित की गई है जिसमें ऐसे विधिक ढांचे के बारे में उपस्थित है जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हकदार बनाती है और जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यन्वयन के लिए एक साधन के रूप में अभिहित है;

और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 7 में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा;

और, सर्व शिक्षा अभियान के अधीन राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के, स्कीम के अधीन अनुमोदित क्रियाकलापों को करने के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को सुमेल राज्य शेयर के साथ केन्द्रीय शेयर का अंतरण करने के लिए केन्द्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य लागू निधि विभाजन पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय शेयर निर्मोचित किया जाता है;

और, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु छात्रों को शिक्षा देने और अन्य सहायता के लिए शिक्षक या कर्मचारीवृंद (जिसे इसमें इसके पश्चात् कृत्यकारी कहा गया है) का नियोजन किया जाता है और कृत्यकारियों को वेतन या मानदेय का संदाय किया जाता है तथा उन्हें प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधाएं कहा जाएगा) प्रदान की जाती है, इसका कुछ भाग भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय होता है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक कृत्यकारियों से उसके पास आधार नम्बर होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक किसी ऐसे कृत्यकारी को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे फायदाग्राही आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन का राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का ऐसा भार साधक संबंधित विभाग से (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) जो कृत्यकारी से आधार संख्यांक देने की अपेक्षा करता है, ऐसे कृत्यकारियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रख्यापित करने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वयन से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परंतु कृत्यकारियों के आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात् —

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; तथा

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञापित; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र पर ऐसे सदस्य की फोटो सहित पहचान का प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उस प्रयोजन के लिए अनिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् —

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति कृत्यकारियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से तथा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय, तहसील या ब्लॉक अथवा मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूल आदि के माध्यम से वैयक्तिक सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि

उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीक आधार नामांकन केन्द्रों में स्वयं को नामांकित कराने के लिए सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन कृत्यकारी उनके आस-पास में ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील जैसे नजदीकी स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो विभाग से जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों या तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से उनके स्कूल के संबंधित पदधारियों के पास अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए या उक्त प्रयोजन के लिए उपबंधित वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 3-24/2016-ईई-14]

रीना रे, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2017

S.O. 688(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India is administering Sarva Shiksha Abhiyan, a Centrally Sponsored Scheme, for universalising elementary education across the country in partnership with the State Governments and Union territory Administrations so as to achieve the goals such as universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in education and enhancement of learning levels of children;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan provides for a variety of interventions, include opening of new schools, construction of schools and additional classrooms, toilets and drinking water, provisioning for teachers, periodic teacher training and academic resource support, textbooks, uniforms and support for learning achievement;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan Scheme framed in accordance with the norms and standards and free entitlements as mandated under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which provides a legal framework that entitles all children in the age group of 6 to 14 years free and compulsory elementary education till its completion and has been designated as the vehicle for implementation of the RTE Act, 2009;

And whereas, section 7 of the RTE Act, 2009 provides that the Central Government and the State Governments shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out the provisions of this Act;

And whereas, under Sarva Shiksha Abhiyan, central share is released to States and Union territories for transferring the same together with the matching state share as per the applicable fund sharing pattern between Centre and State or Union territories, to the State Implementation Societies, for undertaking the approved activities under the Scheme;

And whereas, teachers or staff (hereinafter called functionaries) are employed to impart education to children and other support for implementation of Sarva Shiksha Abhiyan and the functionaries are paid salary or honorarium and provided training and training material (hereinafter called benefits), part of which is a recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targetted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) A functionary desirous of availing the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) A functionary desirous of availing the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan, who does not possess the Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such functionary may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme (hereinafter referred to as Department) in the State Government or Union Territory administration which requires a functionary to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the functionaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in the State Government or Union Territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the functionaries, benefits under the Scheme shall be given to such Individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) any other documents specified by the concerned State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in the State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the functionaries, the Department in the State Government or Union territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices by the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. shall be given to the functionaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the functionaries under the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the functionaries can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of their respective School or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except in the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 3-24/2016-EE.14]

RINA RAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 689(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएचआरडी कहा गया है) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भागीदारी से पूरे देश के सार्वत्रिक प्रांरभिक शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम सर्व शिक्षा अभियान का प्रशासन कर रहा है जिससे सार्वत्रिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग और सामाजिक प्रवर्ग अंतरालों को पाटने तथा बालकों के शिक्षा के स्तरों में वृद्धि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके;

और, सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के मध्यक्षेपों का उपबंध है, जिसके अंतर्गत नए स्कूलों का खोला जाना, स्कूलों और अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के संनिर्माण, शौचालयों और पेयजल, शिक्षकों, आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहायता, पाठ्यपुस्तकों, वर्दी और अधिगम उपलब्धि हेतु सहायता भी है;

और सर्व शिक्षा अभियान स्कीम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अधीन यथा आदेशित मानकों और स्तरमानों तथा नि:शुल्क पात्रताओं के अनुसार विरचित की गई है जिसमें ऐसे विधिक ढांचे का उपबंध है जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हकदार बनाता है;

और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 7 में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का इस अधिनियम उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा और सर्व शिक्षा अभियान को नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए एक साधन के रूप में अभिहित किया गया है जिनके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, स्कीम के अधीन अनुमोदित क्रिया कलापों को करने के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों (एसआईएस) को सुमेल राज्य शेयर के साथ केन्द्रीय शेयर का अंतरण करने के लिए केन्द्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य लागू निधि विभाजन पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय शेयर निर्मोचित किया जाता है;

और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केंद्र सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(i) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाएं और हकदारियां प्राप्त करने के पात्र 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों से उनके पास आधार होने का सबूत प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाएं और हकदारियां प्राप्त करने के पात्र 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों से जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं करवाया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है परंतु वे आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार संख्या प्राप्त करने के हकदार हों। ऐसे बालक आधार हेतु नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(iii) यदि स्कूल के नजदीकी क्षेत्र में नामांकन की सुविधा नहीं है या बालक किसी अन्य कारण से आधार हेतु नामांकन कराने में समर्थ नहीं होता तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे बालक को एक विशिष्ट संख्या आबंटित करेगा जिसका उसकी पृथक पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा तथा ऐसे बालक को भी इस योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(iv) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन हेतु यूआईडीएआई रजिस्ट्राजर होंगे या बनने की प्रक्रिया में होंगे और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर विशेष आधार नामांकन कैम्पों का आयोजन कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रख्यापित प्रसुविधाओं और सेवाओं में से किसी प्रसुविधा या सेवा का उपभोग करने के इच्छुक ऐसे बालकों, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन कैम्पों में या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के पास, आस-पास के क्षेत्र में किसी भी आधार नामांकन केंद्र में भी जा सकते हैं। आधार अधिनियम की धारा 5 में यथा विहित आधार नामांकन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(v) उंगलियों या हाथ में चोट, विकृति, विच्छेदन या किसी अन्य सुसंगत कारण से यदि कोई दिव्यांग बालक उंगलियों के प्रिंट देने में असमर्थ है तो उसका केवल इरिस स्केन किया जाएगा। तथापि ऐसे दिव्यांग बच्चों, जो आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 द्वारा परिकल्पित कोई बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करने में असमर्थ हैं, आधार नामांकन हेतु आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 6(2) के निबंधानुसार यूआईडीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(vi) यदि आधार के लिए उपयोग किए जाने वाला अधिप्रमाणन या आधार के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो भी बालक सर्व शिक्षा अभियान के अधीन तब तक प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जब तक वे समय या आयु वर्जित नहीं हो जाते, यदि वे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) इस अधिसूचना के पैरा 6 में यथानिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु किए गए अनुरोध की एक प्रति;

(iii) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी विशिष्ट संख्या; और

(ख) माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा इस आशय का एक परिचय-पत्र कि बालक उनके साथ रह रहा है और वह किसी अन्य स्कीम या स्कूल से बालक के लिए इस प्रकार की सेवाओं या प्रसुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहा है :

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के भार साधक विभाग द्वारा अनिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य के पात्र बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सुविधजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आधार के लिए नामांकन की आवश्यकता तथा आधार नामांकन हेतु प्रदान की गई सुविधाओं के ब्यौरों के बारे में राज्य परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों, जिला शिक्षा कार्यालयों, ब्लॉक संसाधन केंद्रों, कलस्टर संसाधन केंद्रों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. यदि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन पात्र बालक ब्लाक या तहसील या तालुका में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन करवाने में असमर्थ हैं तो राज्य परियोजना अधिकारियों से सुविधाजनक स्थान पर नामांकन की सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा की जाती है और बालकों से अपने माता-पिता या संरक्षकों के माध्यम से स्कूल में नाम, पता, मोबाइल नम्बर जैसे अन्य विवरण सहित अपना नाम देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध को रजिस्ट्रिकृत करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

4. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 3-24/2016-ईई-14]

रीना रे, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2017

S.O. 689(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identifier for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India (hereinafter referred to as MHRD) is administering Sarva Shiksha Abhiyan, a Centrally Sponsored Scheme, for universalising elementary education, across the country in partnership with the State Governments and Union territory Administrations, so as to achieve the goals such as universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in education and enhancement of learning levels of children;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan provides for a variety of interventions, including opening of new schools, construction of schools and additional classrooms, toilets and drinking water, provisioning for teachers, periodic teacher training and academic resource support, textbooks, uniforms and support for learning achievement;

And whereas, Sarva Shiksha Abhiyan Scheme framed in accordance with the norms and standards and free entitlements as mandated under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which provides a legal framework that entitles all children in the age group of 6 to 14 years free and compulsory elementary education till its completion;

And whereas, section 7 of the RTE Act, 2009 provides that the Central Government and the State Governments shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out the provisions of the RTE Act and the Sarva Shiksha Abhiyan has been designated as the vehicle for implementation of RTE Act, 2009 for which central share is released to States and Union territories for transferring the same together with the matching state share as per the applicable fund sharing pattern between Centre and State or Union territory to the State Implementation Societies (SISs), for undertaking the approved activities under the Scheme;

And whereas, implementation of Sarva Shiksha Abhiyan involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targetted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

(i) Children between the age of 6 to 14 years, eligible to receive benefits and entitlements under the Sarva Shiksha Abhiyan, would be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(ii) Children between the age of 6 to 14 years, eligible to receive benefits and entitlements under the Sarva Shiksha Abhiyan, who do not possess an Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, are requested to apply for Aadhaar enrolment as by 30th June, 2017, provided they are entitled to obtain Aadhaar number as per section 3 of the Aadhaar Act. Such children may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(iii) In case there is no enrolment facility in the neighbourhood areas to a school or a child is not able to enrol for Aadhaar for any other reason, the School Education Department of the State or Union Territory shall allocate a unique number to such child which will be used to separately identify him or her and benefits under this scheme shall be given to such child also.

(iv) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union Territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI. Children desirous for availing any of the benefits and services offered under Sarva Shiksha Abhiyan, who do not possess Aadhaar number or have not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI. The Aadhaar enrolment process as prescribed in section 5 of the Aadhaar Act shall be followed.

(v) In case of children with special needs who are unable to provide fingerprints, owing to reasons such as injury, deformities, amputation of the fingers or hands or any other relevant reason, only Iris scans will be collected. However, for such children with special needs who are unable to provide any biometric information contemplated by the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the procedure specified by the UIDAI in terms of regulation 6(2) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, shall be followed to carry out enrolment for Aadhaar.

(vi) In case authentication using Aadhaar or submission of proof of possession of Aadhaar is not possible, eligible children shall continue to avail the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan till they become time or age barred, if the following documents are produced, namely:—

(a) (i) If they have enrolled for Aadhaar then Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 6 of this notification;

(iii) Unique number issued by School Education Department; and

(b) An undertaking by the parent or legal guardian that the child is residing with him or her and that he or she is not availing same services or benefits for the child from any other Scheme or School:

Provided that the above documents shall be checked by an officer designated by the department in-charge of implementation of Sarva Shiksha Abhiyan in the State Government or Union territory Administration.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under Sarva Shiksha Abhiyan to eligible children between 6 to 14 years, the State Governments, and Union territory Administrations shall make wide publicity through the offices of the State Project Officers, District Education Offices, Block Resources Centres, Cluster Resource Centres, etc. about the need for enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment.

3. In case, eligible children under Sarva Shiksha Abhiyan are not able to enrol due to non-availability of enrolment centre in the Block or Tehsil or Taluka, the State Projects Officers are required to create enrolment facilities at convenient location and children through their parents or guardians may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as same, address, mobile number with the school.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 3-24/2016-EE.14]

RINA RAY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.02 23:21:36 +05'30'